

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ3(ख)एस-538 / 2013 / अलेसे-II / 1518

दिनांक :- 09.12.2022

कार्यालय आदेश

श्री संग्राम सिंह, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II (लिंक नं. 12040) कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जोधपुर को वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा आयोजित एम.ए. (पूर्वार्द्ध) परीक्षा सत्र 2022-23 में राजनीतिक विज्ञान विषय से दूरस्थ शिक्षा माध्यम से प्रविष्ट होने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अध्वधीन होगी :-

- 1 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 2 परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 3 उक्त स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और इस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- 4 उक्त स्वीकृति के कारण राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा / व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
- 5 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 6 प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।



(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- एफ3(ख)एस-538 / 2013 / अलेसे-II / 1518

दिनांक :- 09.12.2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित विभाग / कार्यालय
2. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. संबंधित कार्मिक



(के.जी.गुप्ता)
अति. निदेशक (कार्मिक-II एवं III)